

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर

प्रारूप-6 परिशिष्ट "अ"

-: कार्यालय आदेश :-

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

01. श्रीमती संध्या शर्मा, व0अ0, विशेष शिक्षा सामाजिक विज्ञान राजकीय अन्ध उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर अजमेर में कार्यरत थे, जिनका दिनांक-01.10.2022 को राज्य सेवा में रहते हुए निधन हो गया है।
अतः श्रीमती संध्या शर्मा, व0अ0, विशेष शिक्षा सामाजिक विज्ञान राजकीय अन्ध उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर अजमेर राजस्थान की सेवाएँ दिनांक-01.10.2022 से समाप्त की जाती हैं।
02. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संध्या शर्मा, व0अ0, विशेष शिक्षा सामाजिक विज्ञान राजकीय अन्ध उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर अजमेर के विरुद्ध राजस्थान आज दिनांक तक :-
1. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम -1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जाँच विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
 2. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
 3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।



(राजेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
अजमेर संभाग, अजमेर

- क्रमांक:-संनि/स्कूल शि./अज/संस्था-4/फा-सेवा समाप्त/2022/2385 दिनांक :- 31.10.2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
 - 2-संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
 - 3-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
 - 4-संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
 - 5- संबंधित संस्थाप्रधान/संबंधित कार्मिक
 - 6- प्रभारी, लेखा-2/संस्था-5/सामान्य-1, स्थानीय कार्यालय।
 - 7-निर्देशन पत्रावली।



अति० जिला शिक्षा अधि०
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग, अजमेर